न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00481/2019/223

1. चेनाराम पुत्र भैरूराम, जाति जाट, निवासी गांव निटूटी, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सोनी,
2. पन्ना पुत्र रामा,
   समस्त जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 8.11.2019 अंतर्गत वाद संख्या 01/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुनील कड़वासरा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 12.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम निटूटी पटवार क्षेत्र निटूटी के खसरा संख्या 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अपने—अपने जमाबंदी हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अलग—अलग खाता, खसरा नंबर, लगान कायम किया जावे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर बंटवारा की डिक्री पारित की जावे। अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.11.2019 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअंदउाज किया कि दिनांक 8.11.2019 को पत्रावली वास्ते जिरह नियत थी और प्रतिवादी के अभिभाषक जिरह करने हेतु न्यायालय में तैयार व उपस्थित थे परन्तु स्वंय गवाह जिस से जिरह करनी थी वह ही अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुआ । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जिरह का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रतिवादी की जिरह बंद कर दी । तत्पश्चात् प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उसी समय एक प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष वादी साक्ष्य से जिरह करने का मौका देने हेतु पेश किया गया । परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 को बैचान करने वाले खातेदार एवं प्रतिवादी/अपीलांट के मध्य उनके पूर्वजों के समय से ही मौके पर मौखिक विभाजन हो रखा था तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है । रेस्पो0 को उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा बैचान की गई भूमि पर रेस्पो0 मौके पर काबिज काश्त अनुसार पश्चिम दिशा की तरफ की भूमि पर कब्जा संभलाया गया था तब से रेस्पो0 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । अब रेस्पो0 के मन में खोट आ जाने के कारण रेस्पो0 उक्त भूमि का हिस्सा खरीद करने के बाद प्रतिवादी/अपीलांट जो अपने पूर्वजों के समय से हो रखे मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, को हैरान परेशान करने व उसके कब्जे काश्त में दखल करने की नियत से गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर विभाजन का वाद पेश किया है । रेस्पो0 ने वादग्रस्त भूमि में से खातेदारान का हिस्सा वर्ष 2016 में खरीद करने के पश्चात् नक्शा ट्रेस के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर उक्त भूमि के खातेदारान/विक्रेतागण के द्वारा मौके पर उनके कब्जे काश्त के अनुसार रेस्पो0 को मौके पर कब्जा संभलाने पर काबिज काश्त होकर काश्त व उपयोग कर रहे है । इसलिये रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सभी पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने कानूनी की मंशा एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर अपीलांट को जो अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग कर रहा है, उनको साक्ष्य व सुनवाई हेतु संपूर्ण अवसर प्रदान नहीं कर विवादित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 को पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष दावे तथा जवादावे के आधार पर तनकियात कायम की जा चुकी थी तो अधी0न्याया0 को आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण मके तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विधि के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.11.2019 को प्रतिवादी की जिरह बंद कर उसी दिन बिना बहस सुने वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2019 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात खसरा नंबर 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का 130/189 हिस्सा व प्रतिवादी/अपीलांट चेनाराम का 59/189 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है किन्तु विवादित आराजी का विधिक विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण/रेस्पो0 अपनी आराजियात का विधिक विभाजन करवाने के अधिकारी है । प्रतिवादी को अधी0न्याया0 द्वारा जिरह हेतु अनेक अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादी की जिरह बंद की है । अधी0न्याया0 के निर्णय प्राथमिक डिक्री में अपीलांट के हिस्से में कम आराजी रखी गई हो ऐसा कोई कथन अपील मीमों में अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि ग्राम निटूटी के खसरा संख्या 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य जमाबंदी हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी चेनाराम ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा में वादीगण का 130/189 हिस्सा व प्रतिवादी/जवाबकर्ता चेनाराम का 59/189 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार है । उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त, उपयोग व उपभोग करते आ रहे है । प्रतिवादी/जवाबकर्ता संख्या 1 वाद अधीन भूमि में मौके पर राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार पूर्व दिशा में काबिज काश्त है जो अपने पूर्वजों के समय से हो रखे मौखिक बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है । वादीगण को उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा बैचान की गई भूमि पर काबिज काश्त अनुसार पश्चिम दिशा की तरफ की भूमि पर कब्जा संभलाया गया था तब से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार की और से तहसीलदार ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा के रामेश्वर पुत्र सोनी, पन्ना पुत्र रामा हिस्सा 130/189 कौम जाट साकिन रघुनाथपुरा व चेनाराम पुत्र भैरूराम हिस्सा 59/189 कौम जाट साकिन निटूटी दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि वादीगण/रेस्पो0 विवादित आराजियात के सह खातेदार है जो अपनी सहखातेदारी आराजियात का विधिक विभाजन कराने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 8.11.2019 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को खसरा नंबर 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा में 130/189 हिस्से का व प्रतिवादी/अपीलांट को 59/189 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री में अपीलांट/प्रतिवादी के हिस्से में कम भूमि रखी गई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.11.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर